कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांकः अ0छा0क0 / 131 दिनॉकः मार्च 9, 2018

समस्त अधिष्ठाता

भारत सरकार के पोर्टल **"National Scholarship Portal" (https://scholarships.gov.in)** पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियों हेतु ऑन–लाइन आवेदन किए जाते हैं जिन्हें आवेदन के उपरान्त इस कार्यालय से सत्यापित (Verify) करना होता है। सत्यापन के लिए सम्बन्धित विद्यार्थियों द्वारा सम्बन्धित आवेदन की हार्डकॉपी एवं समस्त आवश्यकीय दस्तावेज इस कार्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य है किन्तु कभी–कभी विद्यार्थी आवेदन करने के उपरान्त अभिलेख जमा नहीं करते जिससे उनके आवेदन पत्र सत्यापित (Verify) नहीं हो पाते हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को अवगत कराने का कष्ट करें कि भारत सरकार के पोर्टल **"National Scholarship Portal" (https://scholarships.gov.in)** पर जो भी विद्यार्थी किसी भी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करें वे पहले तो **Present Institute** के लिए **"G.B.PANT UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY"** का चयन करें, अलग–अलग महाविद्यालयों का चयन न करें एवं उसके उपरान्त आवेदन पत्र की हार्डकॉपी (स्वहस्ताक्षरित, परामर्शदाता एवं अधिष्ठाता से हस्ताक्षरित कराकर) सभी अभिलेखों सहित इस कार्यालय को तुरन्त जमा करना सुनिश्चित करें। जो विद्यार्थी अभिलेख जमा नहीं करेंगें अथवा Present Institute का गलत चयन करेंगे तो उनके आवेदन पत्र इस कार्यालय द्वारा सत्यापित करना सम्भव नहीं होगा। यह भी स्पष्ट करना है कि विश्वविद्यालय की शैक्षिक नियमावली 2013 के अध्याय XII पृष्ठ सं0 92–93 के बिन्दु सं0 6 के (IV) के अनुसार **"The student on Academic Prbation/conduct Probation shall not be eligible for these financial aids."** के अनुसार किसी भी छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है अतः ऐसे विद्यार्थी किसी भी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें।

9/3/2018

(आर0 एस0 जादौन)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः

1. समस्त छात्रावास अभिरक्षकों को विद्यार्थियों के मध्य प्रसार हेतु।
2. समस्त महाविद्यालयों / छात्रावासों / कुलसचिव / पुस्तकालय / सी0सी0एफ / स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय के नोटिस बोर्डो पर विद्यार्थियों के सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी विश्वविद्यालय वेवसाईट को विश्वविद्यालय वेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन रूद्रपुर ऊधम सिंह नगर को उनसे प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ।
5. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।